रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D. (D) 73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1978/ज्येष्ठ 27, 1900

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1978/JYAISTHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1978

सा०का०नि० 753.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 में उप-नियम (9) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सेवा का कोई सदस्य अपना वाद प्रस्तुत करने के लिए किसी सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की सहायता ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ले सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

[सं० 11018/12/77 अ०भा०से०(3)]

आर० एस० प्रभाकर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 31st May, 1978

G.S.R. 753.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1978.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

सा० का० नि० 768:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, फार्म रेडियो रिपोर्टर के पद से संबंधित क्रम संख्या 45 के सम्मुख कालम संख्या 10 के अंतर्गत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती के लिए :

आवश्यक :

1. कृषि में डिग्री तथा कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में या सूचना संचार कार्य में या समतुल्य पद पर कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

या

कृषि में डिप्लोमा तथा ग्राम सेवक के रूप में या समतुल्य पद पर या विस्तार और विस्तार सूचना कार्य अर्थात् रेडियो या टेलीविजन या कृषि प्रचार में छः वर्ष का अनुभव।

या

ग्राम सेवक के रूप में दो वर्ष का प्रशिक्षण तथा ग्राम सेवक के रूप में या कृषि प्रचार सहित समतुल्य पद पर कम से कम छः वर्ष का अनुभव।

2. जिस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र स्थित है उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की भाषा (भाषाओं) और बोली (बोलियों) में धारा प्रवाहिता।

वांछनीय :

प्रसारण प्रविधियों का कुछ अनुभव।"

[संख्या 1/2/75-बी (ए)]

एम०एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th May, 1978

G.S.R. 768.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 45, relating to the post of Farm Radio Reporter, in column 10, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"For direct recruitment :

ESSENTIAL:

1. Degree in Agriculture with atleast 2 years' experience as an Agricultural Extension Officer or in information communication work or in an equivalent post.

OR

Diploma in Agriculture with six years' experience as Village Level Worker (Gram Sevak) or in an equivalent post or Extension and Extension information work e.g. Radio or Television or Agriculture Publicity.

OR

Two years' training as Village Level Worker (Gram Sevak) with at least six years' experience as Gram Sevak or in an equivalent post including Agriculture Publicity.

2. Fluency in the Language(s) and dialect(s) of the State or Union Territory in which the radio station or centre is situated.

DESIRABLE:

Some experience of broadcasting techniques."

[No. 1/2/75-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1978

सा०का०नि० 769.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय तथा प्रकाशन विभाग (श्रेणी-I और श्रेणी-II पद) भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामत :—

1. (1) इन नियमों को मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय और प्रकाशन विभाग (श्रेणी-I और श्रेणी-II पद) भर्ती नियम, 1978 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय और प्रकाशन विभाग (श्रेणी-I और श्रेणी-II पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में :—

(क) "मुद्रण साइड" शीर्ष के अन्तर्गत :—

(i) कालम 12 में मौजूदा इन्दराज क्रम संख्या 1, 2 और 3 प्रत्येक के स्थान पर "पदोन्नति, सीधी भर्ती और पुष्टि करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है" का इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) कालम 12 में मौजूदा इन्दराज क्रम संख्या 4 और 5, प्रत्येक के स्थान पर "पदोन्नति, सीधी भर्ती और सीधी भर्ती वाले की पुष्टि करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है" का इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) कालम 12 मे मौजूदा इन्दराज क्रम सं० 6 के स्थान पर "पदोन्नति, सीधी भर्ती और पुष्टि करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है" का इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) "मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन साइड" शीर्ष के अन्तर्गत :—

(i) कालम 12 में मौजूदा इन्दराज क्रम संख्या 1,2 (क) और 2: (ख) प्रत्येक के स्थान पर "पदोन्नति, सीधी भर्ती और पुष्टि करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है" का इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा ;